



Sushant Shukla Media R...

only admins can send messages



बिलासपुर सरकंडा में भी जमीन खरीदी-बिक्री फर्जीवाड़ा उठा मामला

विधायक सुशांत शुक्ला में बिलासपुर सरकंडा के तीन खसरा नंबरों को उल्लेख करते हुए कहा कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अनुमति लिए बिना नगर निगम ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अनुज्ञा ले ली गई है। विधायक ने निगम द्वारा जारी अनुज्ञा को निरस्त कर जमीन की खरीदी- बिक्री पर रोक लगाने की मांग की।

अफसरों ने विधानसभा में दी गलत जानकारी

सरकंडा के तीन खसरा नंबर के ले आउट और निगम द्वारा फर्जी तरीके से पास कराए गए अनुज्ञा के संबंध में विधायक सुशांत शुक्ला ने सभापति को संबोधित करते हुए कहा, निगम के अफसरों ने मंत्री को गलत जानकारी दी है। मंत्री से सदन में गलत जवाब पेश करा दिया गया है। विधायक ने मंत्री से पूछा कि विधानसभा को गलत जानकारी उपलब्ध कराने वाले अफसर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या।

मंत्री ने जांच कमेटी बनाने का दिया आश्वासन

विधायक सुशांत शुक्ला के इस खुलासे के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, पूरा दस्तावेज आप उपलब्ध करा दें। जांच कमेटी बनाकर इस पूरे मामले की जांच करा लेंगे। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।